

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-742/एक-1-2016-20(5)/2016

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-219 के अधीन शक्ति का प्रयोग और अधिसूचना संख्या-180/एक-1(43)/1994, दिनांक 30 मई, 1994 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मण्डलायुक्तों को उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 89 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेअर से अधिक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि के मानक अनुसार क्रय करने के लिए अनुमति प्रदान करने की उक्त अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति, यदि ऐसा संक्रमण केवल उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन के लिए लोकहित में हो, प्रतिनिहित करते हैं।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan,  
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 742/I-1-2016-20(5)/2016 Lucknow dated June 03, 2016

**Notification**

No. 742/I-1-2016-20(5)/2016  
Lucknow Dated, June 03 , 2016

In exercise of the powers under section 219 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904) and in supersession of notification no. 180/One-1(43)-1994, Dated May 30, 1994 the Governor is pleased to delegate to Commissioners in Uttar Pradesh the powers exercisable by the State Government under sub-sections (3) of section 89 of the said Act, to grant permission, if the transfer is in the interest for general public for the purpose of setting-up of Industries, to minimum land standard prescribed by Industrial Development Department, Uttar Pradesh Shasan or Government of India to purchase land in excess of 5.0586 hectares in Uttar Pradesh as mentioned in sub-section (2) of section 89 of the said Act no. 8 of 2012.

By order,

  
(Suresh Chandra)  
Pramukh Sachiv.